न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम चौधरी आर.ए.एस.

सं0 — 39/2024

1. संजीव कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।:—प्रार्थी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
2. शेरसिंह पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
3. सरबती पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये शाखा प्रबंधक। :—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए

आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए

उपस्थिति :—राजेन्द्र गोयल प्रार्थी

श्री रोहताश चौपडा अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 11/05/2026

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं0 60/86 के मु0 न0 50 के किला न0 21 ता 24, मु0 न0 51 के किला न0 24, 25 कुल 1.518है0 नहरी कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता सं0 102/96 के किला न0 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/3, 19/4 पडौसी काश्तकार शम्भूदयाल पुत्र देवाराम के नाम से दर्ज है। जिनमें स्वीकृत शुदा रास्ता चालू है।

प्रार्थी के खाता सं0 60/86 के मु0 न0 50 व 51 के चिपते ही अप्रार्थी के खाता सं0 32/110 के मु0 न0 35, 36, 49, 50 की कुल 5.3380है0 नहरी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के खाता सं0 32/110 के मु0न0 50 के किला न0 16 की 0.215है0 में से 0.013है0 के दक्षिणी सीरे पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा चौडाई में यानि सवा आठ फीट चौडा रास्ता का उपयोग करता है। चूंकि अप्रार्थीगण का मु0 न0 50 के किला न0 16 गांव राजपुरा से आगे खेतों की ओर जाने वाले मुख्य रास्ता की ओर चिपता हुआ पडता है और किला न0 16 के आगे पश्चिम की और पडौसी काश्तकार शम्भूदयाल के मु0 न0 50 के किला न0 17, 18, 19 व 20 तक पूर्व से पश्चिम की और स्वीकृत शुदा रास्ता है। परन्तु उक्त अप्रार्थीगण के मु0 न0 50 के किला न0 16 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जवाब पेश किया गया व अप्रार्थी सं0 3 व 4 की तामिल उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के खाता सं0 32/110 के मु0न0 50 के किला न0 16 की 0.215है0 में से 0.013है0 के दक्षिणी सीरे पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा चौडाई में यानि सवा आठ फीट चौडा रास्ता का उपयोग करता

चूंकि अप्रार्थीगण का मु0 न0 50 के किला न0 16 गांव राजपुरा से आगे खेतों की ओर ने वाले मुख्य रास्ता की ओर चिपता हुआ पडता है और किला न0 16 के आगे पश्चिम ी और पडौसी काश्तकार शम्भूदयाल के मु0 न0 50 के किला न0 17, 18, 19 व 20 तक से पश्चिम की और स्वीकृत शुदा रास्ता है। परन्तु उक्त अप्रार्थीगण के मु0 न0 50 के ला न0 16 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी का अपनी खातेदारी में ावागमन करने में परेशानी का सामना करना पडता है। रास्ता की एवज की भूमि के लए राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की पालना के लिए तत्पर व तैयार है क्त धारा के अनुसार बाजार भाव से कीमत देने के लिए तत्पर व तैयार है इसलिए र्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है व वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जवाब के ख्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की चक 10 बीएचडी के खाता सं0 60/86 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त खाता की कृषि भूमि संयुक्त खाता की है बिना खाता विभाजन रास्ता स्वीकृत नहीं किया ा सकता है व प्रार्थी सदामत से आवेदन में मांग किये गये रास्ता से अलायदा/अलग ालू रास्ता से आवागमन सुचारू रूप से कर रहा है वह रास्ता चालू है, कोई व्यवधान व ोक नहीं है इसलिए आवेदन में चाहे गये रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है प्रार्थी का र्थना अप्रार्थी की कृषि भूमि के टूकडे करने व उन्हें तंग परेशान करने के उद्देश्य से आवेदन पेश किया है जो काबिल खारिज है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गयां। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के रोही मौजा 10 बीएचडी खाता सं0 32/110 के मु0न0 50 के किला न0 16 की 0.215है0 में से 0.013है0 के दक्षिणी सीरे पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा चौडाई में यानि सवा आठ फीट चौडा रास्ता का उपयोग करता है उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है व रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि देने को तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा 10 बीएचडी खाता सं0 32/110 के मु0न0 50 के किला न0 16 की 0.215है0 में से 0.013है0 के दक्षिणी सीरे पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा चौडाई में यानि सवा आठ फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। मु0न0 50 के किला न0 16 की 0.215है0 में से 0.013है0 की रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को दुगुना प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)